



2026:AHC:52120

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3562 वर्ष 2026

श्रीमती अरुणा कुमारी @ अरुणा गोयलयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रेम चंद्र, सुधांशु कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधांशु कुमार और राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके दिवंगत पति, डॉ. वेद प्रकाश गोयल, जो 31.07.1997 को निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, उ.प्र. के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, का 24.11.2025 को निधन हो गया। हालांकि, कुछ चिकित्सा प्रतिपूर्ति ऐसी हैं जिनका भुगतान आज तक नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादीगण को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया द्वितीय प्रतिवादी, संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उ.प्र. लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. ऐसे सुझाव पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विरोधी पक्षों के तर्कों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है कि वह द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जो इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करने की कार्यवाही करेंगे। यदि द्वितीय प्रतिवादी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।
7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादीगण से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।